

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रॉ) / गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचानात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 20.12.2021 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगंज, फैजाबाद में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 21.12.2021 को खोली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक/बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना तिथि/अभिप्रेत तिथि/अधिष्ठा प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य (रु०)	धरोहर राशि (रु०)
शाखा: आरबीएन गोसाईगंज, मो0- 8874206429						
1.	मेसर्स महबूब ट्रेडर्स प्रो. श्री तनवीर अहमद एवं श्री तनवीर अहमद पुत्र श्री शकील अहमद	सम्पत्ति बंधक, प्लॉट सं. 1260/1, राम नगर मिशरौली, परगना- अम्सिन, तहसील- सदर, जिला अयोध्या, श्री शकील अहमद पुत्र श्री अब्दुल कयूम के नाम, क्षेत्रफल- 0-9-15 (नौ बिस्वा पंद्रह धुर) या 12320 वर्ग फीट, चौहद्दी: पूर्व: फेरू का खेत, पश्चिम: तारामती एवं फूलचंद का खेत, उत्तर: सुलेमान का खेत, दक्षिण: सुवारती का खेत	08.04.2021 02.09.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 14,36,074 /- + ब्याज दिनांक 01.04.2021 से + अन्य शुल्क	22,52,700.00 2,25,270.00	
2.	श्री सत्यव्रत सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह एवं श्री संत कुमार सिंह पुत्र श्री सभाजीत सिंह	संपत्ति साम्यिक बंधक भूमि/प्लॉट संख्या 794क, इनके द्वारा पंजीकृत डीड सं. 322/09 ग्राम- काजीपुर गदर, परगना- अम्सिन, तहसील- सदर, जिला- फैजाबाद/अयोध्या, क्षेत्रफल- 380 वर्ग मीटर, श्री सत्यव्रत सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह एवं श्री संत कुमार सिंह पुत्र श्री सभाजीत सिंह एवं श्री हरि चरण पुत्र बंशी पासी के नाम, डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व: सत्यव्रत सिंह एवं अन्य का प्लॉट, पश्चिम: मेवा लाल का प्लॉट, उत्तर: मेवा लाल का प्लॉट, दक्षिण: श्री सत्यव्रत सिंह, संत कुमार सिंह एवं हरि चरण का प्लॉट	25.11.2019 25.09.2020 सांकेतिक कब्जा	रु. 10,36,872.66 /- + ब्याज दिनांक 25.11.2019 से + अन्य शुल्क	34,81,200.00 3,48,120.00	
		संपत्ति बंधक प्लॉट संख्या 806 एवं 808, सेल डीड संख्या 5128/2009 दिनांक 10.11.2009 ग्राम-काजीपुर गदर, परगना-अम्सिन, तहसील- सदर, जिला-फैजाबाद/अयोध्या, क्रमशः क्षेत्र- 0.063 हेक्टेयर एवं 0.079 हेक्टेयर, श्री सत्यव्रत सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह एवं श्री संत कुमार सिंह पुत्र श्री सभाजीत सिंह के नाम, डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व: रास्ता खरंजा 10 फीट, पश्चिम: बलदेव का खेत एवं अन्य, उत्तर: विक्रेता की भूमि, दक्षिण: जुगुन एवं अन्य का खेत	25.11.2019 25.09.2020 सांकेतिक कब्जा	रु.14,15,181.85 /- + ब्याज दिनांक 25.11.2019 से + अन्य शुल्क	24,66,900.00 2,46,690.00	
शाखा: बाकरगंज, मो0- 8874206419						
3.	मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स प्रो. मनोज कुमार गुप्ता एवं श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र रामजी गुप्ता	संपत्ति बंधक मकान संख्या 261 पंजीकृत सेल डीड संख्या 1533 दिनांक 23.02.2016, ग्राम- माया भिखी, परगना- अम्सिन एवं तहसील- सदर, जिला- फैजाबाद (अयोध्या), रामजी गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद गुप्ता के नाम, क्षेत्रफल: 1178 वर्ग फीट, डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व: सीसी रोड 10 फीट, पश्चिम: गड्डा एवं आबादी, उत्तर: अहमद अली का मकान, दक्षिण: धूर गड्डा साइट के अनुसार चौहद्दी: पूर्व: सीसी रोड 10 फीट, पश्चिम: गड्डा एवं आबादी, उत्तर: गड्डा एवं आबादी, दक्षिण: अहमद अली का मकान	12.04.2021 02.09.2021 सांकेतिक कब्जा	रु.11,15,478 /- + ब्याज दिनांक 08.04.2021 से + अन्य शुल्क	10,09,954.00 1,00,995.00	
शाखा: मऊ शिवाला, मो0- 8874209578						
4.	श्री सजल कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय श्री बट्टीश कुमार श्रीवास्तव	संपत्ति बंधक प्लॉट नं. 323 (बीएनपी), पंजीकृत सेल डीड संख्या 1825 दिनांक 05.03.2016 ग्राम उसरु, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला- अयोध्या, श्री सजल कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय श्री बट्टीश कुमार श्रीवास्तव के नाम, क्षेत्रफल: 1020.75 वर्ग फीट, डीड के अनुसार चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट कमलेश कुमार, पश्चिम: प्लॉट मलिक चंद्र श्रीवास्तव, उत्तर: रास्ता कच्चा 8 फीट, दक्षिण: कमलेश कुमार का मकान	03.10.2019 23.01.2020 सांकेतिक कब्जा	रु.11,32,718 /- + ब्याज दिनांक 03.10.2019 से + अन्य शुल्क	11,81,778.00 1,18,179.00	
शाखा: अकबरपुर, मो0- 8874206449						
5.	मेसर्स असर्फी एंड संस प्रो. मो. नौशाद अली पुत्र श्री अब्दुल रहमान एवं मो. नौशाद अली पुत्र श्री अब्दुल रहमान	भूमि व भवन के साम्यिक बंधक, प्लॉट सं. आबादी, मकान सं. 115-8, सेल डीड सं. 1589/2008 दिनांक 21.08.2008 स्थित मोहल्ला वार्ड नंबर 11, मखदूम नगर (रसूलपुर दरगाह), पोस्ट किच्छौछा, परगना-बिरहर, तहसील-टांडा, अम्बेडकर नगर, क्षेत्रफल- 161.01 वर्ग मीटर, मालिक - श्रीमती अमीना खातून पत्नी श्री अब्दुल रहमान, चौहद्दी: पूर्व- गली कच्ची, पश्चिम- राम सहाय का मकान, उत्तर - अजित कुमार का मकान, दक्षिण - गली एवं जय प्रकाश का मकान	23.09.2019 19.11.2020 सांकेतिक कब्जा	रु.31,81,427 /- + ब्याज दिनांक 23.09.2019 से + अन्य शुल्क	43,08,000.00 4,30,800.00	

सम्पर्क नं.: 8874207282, 8874206413

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए) 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फैजाबाद में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक के पक्ष में डीड / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के पापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीड / बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निर्लंबित करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बताये प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली करम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप - धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हों। वे अपराह्न 2:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना
कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ऑ) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनके वसूल किया जाएगा।
दिनांक 01.11.2021 स्थान - अयोध्या प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, फैजाबाद/अयोध्या